न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 142 / 2022

अनवान : –

1. सलमा बानो पुत्री शौकिन खां जाति मुसलमान निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. प्रवीण पत्नी शौकिन खां जाति मुसलमान निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

– सायलान

बनाम्

1. शौकिन खां पुत्र फरीद खां जाति मुसलमान निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. खालीद हुसैन पुत्र शौकिन खां जाति मुसलमान निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
4. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

–गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **सायल**

निर्णय

दिनांकः 06/01/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 22 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 128 / 122 की कुल 3.6685 हैक्ट भूमि में गैरसायल स0 1 का 2530 / 12219 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 1 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 83 / 79 की 1.0120 हैक्ट गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज है एवं रोही मौजा चक 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता 34 / 31 की कुल 6.7950 हैक्ट भूमि में से 81 / 506 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि पूर्व सायल के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है एवं उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई है। उक्त भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता खानदान दर्ज है। उक्त भूमि पैतृक है जिसमें सायल का जन्मजात हक हिस्सा है। गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज भूमि को बिना जायज जरूरत के रहन, बैय करना चाहते है अगर गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो गये तो अपूर्णीय क्षति सायलान को होगी इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वादग्रस्त भूमि को रहन / बैय व मुन्तकिल न करे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रोही मौजा चक 1 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 83 / 79 की 1.0120 हैक्ट गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज है एवं रोही मौजा चक 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता 34 / 31 की कुल 6.7950 हैक्ट भूमि में से 81 / [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त भूमि में से [illegible] का बेचान न करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 15:20:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थी उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हको का निर्धारण मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता खानदान दर्ज है। उक्त भूमि पैतृक है जिसमें सायल का जन्मजात हक हिस्सा है। सायल व गैरसायलान मुस्लिम धर्म से शासित है तथा मुस्लिम विधि से शासित है इसलिए मुस्लिम विधि में कोई बाई बर्थ राईट नही होता है। मुस्लिम विधि के अनुसार पुत्रों/पुत्रीयों का बाई बर्थ राईट नही होता है एवं प्रार्थी मुताबिक मुस्लिम विधि के अपने हक हिस्सा को पाने के अधिकारी है अतः अप्रार्थी को मुस्लिम विधि के अनुसार पाबन्द किया जाना उचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थी को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 01.07.2022 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 06/01/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 15:20:58 IST
Reason: SelfAttested